

अध्याय V: छद्म कम्पनियों/हवाला परिचालकों द्वारा अवास्तविक बिक्री तथा खरीद

यह अध्याय उन अवास्तविक संव्यवहारों की चर्चा करता है जो फर्जी प्रविष्टि प्रदाताओं तथा उनके लाभार्थी के बीच हुए जिसके फलस्वरूप अघोषित आय का सृजन हुआ। लेखापरीक्षा ने तथ्यों की विस्तृत जांच करने तथा गंभीर आर्थिक अपराधियों को बुक करने में संवीक्षा हेतु मामलों को लेने के लिए उसके पास उपलब्ध विभिन्न साधनों का प्रयोग प्रभावी रूप से करने में आईटीडी की विफलता को नोटिस किया।

5.1 अवास्तविक संव्यवहार

काले धन पर श्वेत पत्र काले धन को "परिसम्पत्तियों अथवा संसाधनों जिसे न तो उनके सृजन के समय पर सार्वजनिक प्राधिकरणों को सूचित किया गया न ही उनके कब्जे के दौरान किसी भी समय उन्हें दर्शाया गया है, के रूप में" परिभाषित करता है। काले धन की महत्वपूर्ण राशि कानूनी रूप से स्वीकार्य आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से सृजित की जाती है जिसे हिसाब में नहीं किया जाता है तथा कानून अथवा विनियमों के अनुसार सार्वजनिक प्राधिकरणों को प्रदर्शित अथवा सूचित नहीं किया जाता है। काले धन के सृजन हेतु मूल कारण लाभों को कम करके करो के भुगतान से बचना है।

लाभों को कम करने के सर्वाधिक सामान्य तरीकों में से एक तरीका खरीद/कच्चे माल की लागत, मजदूर प्रभारों, मनोरंजन व्ययों तथा कमीशन जैसे व्ययों को बढ़ाना है। ऐसे मामलों में, बहियों में बड़े हुए व्ययों को दर्शाने के लिए फर्जी बिल बनाए जा सकते हैं। इसमें उन तथाकथित 'बिल मास्टर्स' से फर्जी अथवा बड़े हुए बीजक प्राप्त करना शामिल है जो फर्जी वाउचर्स बनाते हैं तथा इस सुविधा के लिए नाममात्र कमीशन चार्ज करते हैं। ऐसी पद्धति में 'हवाला' परिचालक भी शामिल होते हैं जो कुछ कमीशन चार्ज करने तथा बाजार में काले धन को बढ़ाने के पश्चात् नकदी विनिमय में व्यय के रूप में दावा किए गए भुगतानों के लिए चेकों को स्वीकार करने के लिए स्वामित्ववाली फर्मों, भागीदारी फर्मों, कम्पनियों तथा ट्रस्टों के रूप में शेल सत्त्वों का परिचालन करते हैं।

5.2 आयकर विभाग की भूमिका

आईटीडी प्रमुख रूप से काले धन के संकट का मुकाबला करने के लिए उत्तरदायी है। इस प्रयोजन हेतु, यह कर अपवंचन की पहचान करने तथा कर अपवंचन के प्रति निवारकता सृजन के उद्देश्य से आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जो कर अपवंचन के दोषी पाए जाते हैं उन पर शास्ति

लगाने के लिए संवीक्षा निर्धारण के साथ-साथ सूचना आधारित जांच के साधनों का उपयोग करता है। ऐसा करने में, आईटीडी अघोषित काले धन⁸⁶ के सृजन, संग्रहण तथा उपभोग को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

5.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान, महाराष्ट्र बिक्री कर विभाग (एमएसटीडी) ने बम्बई उच्च न्यायालय के समक्ष यह बताया⁸⁷ कि इसने लगभग 39,488 लाभार्थी डीलरो सहित लगभग 1,555 हवाला परिचालकों की जांच की थी जिन्होंने पिछली तीन वर्षों की अवधि के दौरान ₹ 1333 करोड़ का एक इनपुट टैक्स क्रेडिट पारित किया था। इस कार्य प्रणाली में माल की बिक्री तथा खरीद सहित वास्तविक संव्यवहारों के बिना फर्जी कर बीजको की घोषणा के प्रति इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा तथा उसे प्राप्त करना शामिल था। वास्तविक संव्यवहार को दर्शाने के लिए, चेक या बैंक स्थानांतरण द्वारा बीजको के प्रति भुगतान किए गए तथा इसके बाद हवाला डीलरो के बैंक खाते से राशि को वापिस/उसकी फिरती की गई।

एमएसटीडी ने 21 नवम्बर 2011 और उसके बाद अपनी वेबसाइट पर “उन संदिग्ध डीलरो की सूची जिन्होंने माल की डिलिवरी के बिना झूठे बिल जारी किए” डालनी आरम्भ की। वर्तमान में इस सूची में लगभग 2,059 डीलर शामिल हैं जिन्होंने ₹ 10,640 करोड़ (महाराष्ट्र में 12.5 प्रतिशत की दर पर अधिकतम वेट सहित) से अधिक के कर अपवंचन वाले बीजक जारी किए थे।

संवीक्षा निर्धारण के साथ-साथ सूचना आधारित जांच के साधनों का उपयोग करने में आईटीडी की प्रभावोत्पादकता की पुष्टि करने के लिए, हमने उन निर्धारितियों जिनके नाम फर्जी समायोजन बीजक⁸⁸ जारी करने के रूप में एमएसटीडी द्वारा बनाई सूची में सामने आए थे तथा उनसे जुड़े हुए लाभार्थियों के डाटा को शेयर करने के लिए आईटीडी की अन्वेषण विंग के साथ-साथ प्रधान सीसीआईटी से अनुरोध किया गया (नवम्बर 2015)। एक अनुस्मारक तथा उनके साथ एक बैठक (मई 2016) के बावजूद ऐसा कोई डाटा लेखापरीक्षा के साथ शेयर नहीं किया गया। परिणामस्वरूप हमने एमएसटीडी द्वारा अपनी वेबसाइट पर दर्शाए गए संदिग्ध समायोजन प्रविष्टि

86 दिनांक 16 मई 2012 को काले धन पर श्वेत पत्र

87 मै. टाइम्स आर्ट डेकोर प्रा. लि. बनाम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अन्य । बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा 25 मार्च 2013 को दिया गया निर्णय।

88 समायोजन बीजक, एक गारंटर के रूप में, एक पक्ष के रूप में और प्रतिपूर्ति के बिना कार्य करने वाली प्रतिष्ठित तीसरी पार्टी (समायोजन पार्टी या इन्डॉर्सर कहा गया) द्वारा समर्थित विनियम बिल है जिसे गारंटर जो बिल के भुगतान तक दायी रहेगा, की क्षमता के आधार पर छूट दी जा सकती है।

प्रदाताओं तथा लाभार्थियों के निर्धारण अभिलेखों की जाँच की। लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा आगामी पैराग्राफों में की गई है।

5.4 फर्जी प्रविष्टि प्रदाता⁸⁹

हमने एमएसटीडी में फर्जी खरीद सूची में पैन वाले 35 मामले (अनुबंध 5.1) के नि.व. 2009-10 से 2013-14 तक से संबंधित अभिलेखों की जांच की। लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारिती ने या तो (i) रिटर्न को फाइल नहीं किया अथवा (ii) अत्यल्प आय अथवा (iii) शून्य आय के साथ रिटर्न फाइल की या (iv) बाद के वर्षों में रिटर्न फाइल करना बन्द कर दिया। आईटीडी ने संवीक्षा हेतु केवल उन मामले को लिया जहां आय सूचित की गई थी। आईटीडी ने इसके तहत सूचित तथ्यों की सत्यता की जांच करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की न ही उन्होंने अपने स्वयं की अन्वेषण विंग द्वारा प्रदत्त सूचना का पूर्ण रूप से अनुसरण किया। दो मामले नीचे दर्शाए गए हैं:

5.4.1 सीआईटी सेन्ट्रल IV, मुम्बई में, मै. सुपरफाइन् ट्रेडिंग कॉ. प्रा. लि. (पैन-AAJCS3337G) ने नि.व. 2009-10 तथा 2010-11 से सम्बद्ध वर्षों के दौरान जारी समायोजन बीजको के प्रति कुल ₹ 95.38 करोड़ की व्यवसाय अथवा पेशे की बिक्री/सकल प्राप्त दर्शाई थी। इसकी आय की संगणना में, निर्धारिती ने दो नि.व. के लिए क्रमशः ₹ 12.07 लाख तथा ₹ 10.05 लाख की रिटर्न आय निकाली परन्तु इस पर किसी कर का भुगतान नहीं किया। आईटीडी ने फर्म द्वारा जारी नकली समायोजन बीजको की अधिक संख्या को एमएसटीडी द्वारा प्रकाशित सूची से इशारे के बावजूद निर्धारिती द्वारा फाइल की गई रिटर्न की संवीक्षा नहीं की जो काली आय के सृजन का सूचक था।

मंत्रालय⁹⁰ ने यह कहते हुए आपत्ति को स्वीकार किया (20 सितम्बर 2016) कि नि.व. 2009-10 तथा 2010-11 के मामले की क्रमशः ₹ 12.07 लाख तथा ₹ 10.05 लाख की रिटर्न की गई आय के प्रति ₹ 1.77 करोड़ तथा ₹ 1.14 करोड़ की आय की संवीक्षा धारा 144/153 सी के तहत की गई। टर्नओवर को बैंक खातों में सभी क्रेडिटों के अनुसार लिया गया। निर्धारिती ने निर्धारण प्रक्रियाओं पर ध्यान नहीं दिया अतः समायोजन प्रविष्टि के लाभार्थियों की पहचान नहीं की जा सकती।

मंत्रालय का उत्तर आईटीडी के लापरवाहीपूर्ण दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है क्योंकि एओ ने बैंक खातों की जांच करते समय अन्वेषण विंग के पास उपलब्ध सूचना का उपयोग नहीं किया न ही लाभार्थियों को निधियों को

89 कम्पनी/व्यष्टि जो फर्जी समायोजन बिल जारी करता है।

90 वित्त मंत्रालय, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

वापिस करने को स्थापित करने का कोई प्रयास किया। निर्धारित आय के प्रति निर्धारण से बचने वाली अधिक कर योग्य आय की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

5.4.2 सीआईटी नासिक में, **मै. केतन इंजीनियर्स** (पैन DASPS1751R) तथा **मै. ब्रिज कॉरपोरेशन** (पैन BBYPS6024G) के मामले में, एओ ने डीजीआईटी (अन्वेषण) पुणे से प्राप्त सूचना के आधार पर जनवरी 2015 में नि.व. 2010-11 तथा 2011-12 के लिए क्रमशः ₹ 1.06 करोड़ तथा ₹ 7.43 करोड़ की अभिवृद्धि की। तथापि, निर्धारितियों ने कोई रिटर्न/विवरण दाखिल नहीं की। विभाग सांविधिक नोटिस भेजे जाने के बावजूद इन कारोबारों के मालिकों के ठिकाने का पता नहीं लगा सका तथा इसलिए की गई मांगों की वसूली संदेहास्पद थी।

मंत्रालय ने कहा (16 नवम्बर 2016) कि विभाग ने फर्जी खरीद/हवाला संव्यवहारों के कारण अभिवृद्धि करने के पश्चात धारा 143(3)/147 के तहत नि.व. 2011-12 में दो मामले क्रमशः ₹ 78.67 लाख तथा ₹ 5.80 करोड़ की मांग की। नासिक तथा मुम्बई में विभाग क्षेत्रीय पूछताछ, पुलिस पूछताछ तथा उप-रजिस्ट्रार-नासिक से पूछताछ सहित विभिन्न प्रयासों ने निर्धारितियों के वर्तमान ठिकाने के विषय में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

मंत्रालय ने कार्रवाई करने में विलम्ब हेतु कोई कारण नहीं दिया जबकि एमएसडीटी ने 2012 में स्वयं सार्वजनिक पटल पर फर्मों का विवरण प्रस्तुत किया था। एक अकेले नि.व. 2011-12 हेतु संवीक्षा निर्धारण जनवरी 2015 में पूरा किया गया। निर्धारितों जिनका पता नहीं चलने तथा धन के स्रोत का पता लगाने में सक्षम न होने वाले विभाग तथा फर्जी खरीदों के लाभार्थी, आईटीडी की ओर से असामान्य विलम्ब के फलस्वरूप राजस्व की स्थायी हानि हुई।

5.5 फर्जी प्रविष्टि प्रदाताओं के लाभार्थी

हमने नि.व. 2009-10 से 2012-13 तक से संबंधित एमएसटीडी सूची में प्रदर्शित अन्य 13 मामले जो फर्जी प्रविष्टि प्रदाताओं के लाभार्थी थे तथा उस उत्कंठा ग्रुप से संयोजन प्रविष्टि प्राप्त की थी जो एमएसटीडी सूची में भी थी, के अभिलेखों की जांच की। लेखापरीक्षा ने पाया कि आईटीडी ने उनकी विवरणी में प्रदर्शित आय, खाता बहियाँ तथा बैंक खातों तथा अन्य संव्यवहारों जिनका फर्जी खरीदों की बुकिंग द्वारा करो के अपवंचन के क्रम में मुख्य लिंक होना चाहिए था, की उचित प्रकार से संवीक्षा नहीं की। ये मामले नीचे दिए गए हैं:

5.5.1 एओ द्वारा न की गई नामंजूरी

आईटीडी ने मै. हिरन अर्गोचेम लि. (₹ 13.19 करोड़) तथा मै. हाइटेक इंजीनियर्स (₹ 15.17 करोड़) के मामले में कोई नामंजूरी नहीं की। मै. बिरला कोटसाइन के मामले में, आईटीडी ने विशेष रूप से फर्जी खरीदो की जांच करने के लिए धारा 153ए के तहत निर्धारण को पुनः आरम्भ किया परन्तु ₹ 27.68 करोड़ की फर्जी खरीद को अननुमत नहीं किया। मै. एलडर फार्मास्यूटिकल्स लि. के मामले में, आईटीडी ने इस आधार पर कोई अभिवृद्धि नहीं की कि कुल संयोजन खरीद ₹ 76.39 करोड़ थी तथा बिक्री ₹ 77.40 करोड़ थी।

मंत्रालय ने सभी चार मामलों में निम्नानुसार कहते हुए आपत्ति को स्वीकार किया (20 सितम्बर 2016 तथा 16 नवम्बर 2016):

- मै. हायरन आर्गोचेम लि. के मामले में, कथित खरीद के 12.5 प्रतिशत को नि.व. 2009-10 में सीआईटी वर्सस सिमित पी.सेठ¹ के मामले में वर्णित अनुपात के संदर्भ में जोड़ा गया।
- मै. हाइटेक इंजीनियर्स के मामले में, लेखापरीक्षा द्वारा यथाइंगित नि.व. 2009-10 में ₹ 15.17 करोड़ की संयोजन प्रविष्टियों की कोई सूचना नहीं थी। नि.व. 2010-11 से संबंधित उत्कंठा गुप की चार गुप कम्पनियों से ₹ 26.25 करोड़ (उत्कंठा गुप की दो कम्पनियों से ₹ 15.16 करोड़ की लेखापरीक्षा की सूचना के प्रति) की संयोजन प्रविष्टि हेतु सूचना प्राप्त हुई है। नि. व. 2010-11 हेतु धारा 147 के तहत 07 नवम्बर 2016 को जारी धारा 148 के तहत नोटिस जारी करके सुधारात्मक कार्रवाई प्रारम्भ की गई है।
- मै. बिरला कोटसाइन के मामले में, धारा 153ए के तहत निर्धारण नि.व. 2008-09 से 2013-14 तक के लिए 28 मार्च 2016 को पूर्ण किया गया। ₹ 81.91 करोड़ की फर्जी खरीदो के कारण अभिवृद्धि की गई थी परन्तु किसी सूचना के अभाव में मै. उत्कंठा गुप से फर्जी खरीद के संदर्भ में कोई वृद्धि नहीं की जा सकती। एओ द्वारा कोई उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की जा रही थी।
- मै. एलडर फार्मास्यूटिकल्स लि. के मामले में, ₹ 95.78 लाख की अतिरिक्त मांग करते हुए 29 दिसम्बर 2015 को संशोधित निर्धारण आदेश पारित किया गया।

91 356 आईटीआर 451 (गुजरात उच्च न्यायलय 2013)

हालांकि लेखापरीक्षा ने पाया कि उक्त चार मामलो में एओ की ओर से कार्रवाई ठीक नहीं थी जैसाकि निम्न से स्पष्ट है:

- (i) मै. हिरन आर्गेचेम लि. के मामले में, निर्धारिती रसायनो का निर्माता था। ऐसे मामले में, संयोजन प्रविष्टियां प्राप्त करने का सम्पूर्ण प्रयोजन कर योग्य आय का घटाना तथा कम्पनी से धन निकालना था। 12.50 प्रतिशत को अस्वीकृत करने के लिए उद्धरित निर्णय व्यापार प्रतिष्ठानों के लिए लागू है तथा विनिर्माण प्रतिष्ठानों को नहीं। इस मामले में निर्धारिती ₹ 11.54 करोड़ (अर्थात फर्जी खरीद का 87.5 प्रतिशत) तक अपनी आय को कम करने में समर्थ होकर अभी भी लाभ उठा रहा था।
- (ii) मै. हाइटेक इंजीनियर्स के मामले में, निर्धारिती ने मै. रियलस्टोन से नि.व. 2009-10 में ₹ 9.95 करोड़ की फर्जी खरीद दर्शाई थी जिसमें विभाग द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
- (iii) मै. बिरला कोटसाइन के मामले में, आईटीडी को विवरण प्राप्त करने के लिए एक साधन के रूप में संयोजन प्रविष्टि प्रदाताओं (इस मामले में उत्कंठा ग्रुप) के निर्धारण का उपयोग करना चाहिए तथा एमएसटीडी द्वारा प्रस्तुत विवरण के आधार पर मात्र अभिवृद्धि के बावजूद प्रविष्टि प्रदाताओं से निधियों की वापसी सहित सभी प्रमाणों का उल्लेख करने के पश्चात लाभार्थियों द्वारा की गई खरीदों को अस्वीकृत करने के लिए कथित प्रमाण का उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार निर्धारिती अपने परिसरो में अन्वेषण के पश्चात भी उत्कंठा ग्रुप से की गई ₹ 27.68 करोड़ की फर्जी खरीद को छुपाने में सफल हुआ।
- (iv) मै. एल्डर फार्मास्यूटिकल्स लि. के मामले में, आईटीडी ने अवास्तविक खरीद के महज 1.25 प्रतिशत का अल्प समायोजन निर्धारिती के उस तर्क को स्वीकार करते हुए किया कि उसने ₹ 77.40 करोड़ की ऐसी ही अवास्तविक खरीद की थी। इसका तात्पर्य यह है कि निर्धारिती ने ₹ 23.22 करोड़ के कर से बचने में उनकी सहायता करने वाले अन्य प्रतिष्ठानों के लिए अवास्तविक प्रविष्टि पारित की। आईटीडी को उन निर्धारितियों को पहचानना होगा जिसने एल्डर फार्मास्यूटिकल्स लि. से ₹ 77.40 करोड़ की फर्जी खरीद की थी तथा फर्जी खरीद के अंतिम लाभार्थी को कर के लिए ले आने तक फर्जी खरीदों के संव्यवहारों की कमी को पूरा करने के लिए कार्रवाई की थी। इसके अलावा, एफडीए⁹² द्वारा विनियमों के अनुसार फार्मा कम्पनियों को अपने रिकॉर्ड में

92 खाद्य तथा औषधि प्रशासन

वास्तविक निर्माता की बैच संख्या तथा नाम वर्णित करना अपेक्षित है। एओ को वास्तविक लाभार्थियों के विषय में आवश्यक प्रमाण संग्रहित करने के संदर्भ में इन स्टॉक रिकॉर्डों का सत्यापन करना चाहिए।

5.5.2 अवास्तविक खरीदों के विषय में सूचित न किए गए अंतिम लाभार्थियों के क्षेत्राधिकारी एओज

अन्य प्रमुख लाभार्थियों में जेबी स्टील कॉरपोरेशन (₹ 61.77 करोड़), मै. इंडियन ड्रेप प्रा. लि. (₹ 12.52 करोड़), मै. एरिस्टोन ट्रेडिंग प्रा.लि. (₹ 6.58 करोड़), मै. भविष्य इलेक्ट्रिकल लेमिनेशन (₹ 13.20 करोड़) तथा मै. मित्तल कॉरपोरेशन लि. (₹ 16.54 करोड़) के मामले में, अंतिम लाभार्थियों के क्षेत्राधिकारी एओज को उपयुक्त रूप से उन्हें कर में लाने के संदर्भ के साथ निर्धारितियों द्वारा की गई अवास्तविक खरीद के विषय में सूचित नहीं किया गया।

मंत्रालय ने मै. मित्तल कॉरपोरेशन लि. के मामले में आपत्ति (16 नवम्बर 2016) को यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि मै. मित्तल कॉरपोरेशन लि.को अभिलेखों की आपूर्ति की गई जिसे सर्कल 1(1) इन्दौर (अब सर्कल 3(1), इन्दौर) में निर्धारित किया गया था। श्री अभिषेक एस. मोरारका, निदेशक, मै. उत्कंठा ट्रेडिंग लि. के विवरण में उपलब्ध सूचना से, फर्जी बिलिंग पर भुगतान किए गए कमीशन के कारण नि.व. 2010-11 में मै. मित्तल कॉरपोरेशन लि. के मामले में अभिवृद्धि की गई।

उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि विभाग ने यह नहीं बताया कि निर्धारित फर्जी खरीद का अंतिम लाभार्थी था अथवा एक मध्यस्थ था। यह अब भी स्पष्ट नहीं है कि मित्तल कॉरपोरेशन के एओ को सूचना कब दी गई थी तथा अभिवृद्धि कब की गई। मात्रा तथा अधिनियम की धारा जिसके तहत अभिवृद्धि की गई थी तथा क्या विभाग ने धन ट्रेल की स्थापना की थी जो अंतिम लाभार्थी को जानने के लिए महत्वपूर्ण थी, को भी मंत्रालय द्वारा प्रदान नहीं किया गया।

5.5.3 अन्योन्य जांच के लिए लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत न करना

आईटीडी ने मै. मन्धाना इंडस्ट्रिज लि. (₹ 18.10 करोड़), मै. वर्षराज एक्सपोर्ट (प्रा.) लि. (₹ 5.12 करोड़), मै. लक्ष्मी वेल्वेट (आई) लि. (₹ 1.49 करोड़) तथा मै. नीमनी स्टील (प्रा.) लि. (₹ 1.64 करोड़) द्वारा की गई फर्जी खरीदों की अन्योन्य जांच के लिए अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए।

मंत्रालय ने मै. मन्धाना इंडस्ट्रिज लि. के मामले में आपत्ति को यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया (20 सितम्बर 2016) कि निर्धारिती ने आवेदन निपटान आयोग के समक्ष पेश किया तथा आयोग ने 30 अगस्त 2014 को अपना निर्णय दिया जिसे नि.व. 2006-07 से 2013-14 तक लागू किया गया था। परिणामस्वरूप एओ का मामले पर कोई अधिकार नहीं था क्योंकि उस समय मामला अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।

लेखापरीक्षा का मत है कि मंत्रालय ने यह विनिर्दिष्ट नहीं किया है कि क्या लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई फर्जी खरीद को अधिनियम की धारा 245एच(2)⁹³ के तहत निपटान की अवधि में घोषित किया गया था। इस मामले में, एओ को यह सत्यापित करना अत्यावश्यक था कि क्या निर्धारिती ने अवास्तविक खरीद का विश्वसनीय प्रकटन किया था। झूठे प्रकटन के मामले में, आईटीडी को छूट की वापसी के लिए निपटान आयोग में जाना चाहिए था।

मंत्रालय ने मै. वर्षराज एक्सपोर्ट (प्रा.) लि. के मामले में आपत्ति को निम्नानुसार कहते हुए स्वीकार किया था (20 सितम्बर 2016):

- नि.व. 2009-10 के लिए लेखापरीक्षा को फाइलें प्रस्तुत की गई थी तथा लेखापरीक्षा के आग्रह पर धारा 154 के तहत सुधार आदेश पारित किया गया।
- नि.व. 2010-11 के लिए पश्च पुनःसंरचना वार्ड 11(3)(4) में फाइले स्थित नहीं थी, पूर्व पुनःसंरचना वार्ड 8(3)(4) द्वारा धारा 143(3) के तहत आदेश पारित किया गया।
- नि.व. 2011-12 के लिए, कोई संवीक्षा नहीं की गई अतः फाइले उपलब्ध नहीं कराई जा सकी।
- नि.व. 2012-13 के लिए लेखापरीक्षा को मामला रिकॉर्ड प्रदान किए गए तथा एओ के पास उपलब्ध थे।

इस मामले में एओ की कार्रवाई इस आधार पर तर्कसंगत नहीं थी कि नि.व. 2009-10 के लिए मामले के अभिलेख की लेखापरीक्षा जून 2012 में की गई जबकि उत्कंठा ग्रुप से फर्जी संयोजन प्रविष्टियां प्राप्त करने वाले निर्धारिती के संदर्भ में नए प्रमाण जुलाई 2012 में पाए गए। यह अभी भी स्पष्ट नहीं था कि आईटीडी ने धारा 147 के तहत निर्धारण पुनः आरम्भ करके अथवा धारा 263 के तहत समीक्षा करके फर्जी खरीद को नामंजूर करने के लिए

93 धारा 245एच(2) प्रावधान करती है कि व्यक्ति को दी गई किसी छूट को निपटान आयोग द्वारा वापिस लिया जा सकता है, यदि निपटान प्रक्रियाओं की अवधि में ऐसे व्यक्ति ने निपटान हेतु किसी विशिष्ट सामग्री को छुपाया है अथवा झूठे प्रमाण दिए हैं तथा उसके बाद ऐसा व्यक्ति अपराध की कोशिश कर सकता है जिसके संदर्भ में छूट दी गई थी तथा वह शास्ति के लिए उत्तरदायी हो जाता है।

उपचारात्मक कार्रवाई की थी। विभाग ने लेखापरीक्षा को न तो रिकॉर्ड प्रस्तुत किए न ही इसका सुस्पष्ट उत्तर दिया कि क्या नि.व. 2009-10 तथा नि.व. 2012-13 से संबंधित वर्षों के दौरान की गई ₹ 5.12 करोड़ की फर्जी खरीद को अस्वीकृत किया गया था।

5.6 अवास्तविक संव्यवहारों का लिंक न होना

आईटीडी ने अगले तथा पिछले लिंकेज के साथ ऐसे नकली संव्यवहारों की सम्पूर्ण श्रृंखला की अन्योन्य लिंकिंग/कवरिंग के बजाय केवल संबंधित निर्धारिती के निर्धारण रिकॉर्ड के लिए अपने निर्धारण को सीमित किया ताकि अंतिम लाभार्थियों का पता लगे तथा लाभार्थियों को निधियों की वापसी करने के लिए पेपर तथा धन ट्रेल का पता लगे। चार निदर्शी मामले निम्नानुसार हैं:

5.6.1 मै. लोहा इस्पात लि. (पैन AAACL1583C) फर्जी प्रविष्टि प्रदात्ता के माध्यम से शेयरों में निवेश के रूप में फर्जी खरीद⁹⁴ तथा उससे सृजित नकद को वापिस लाने के लिए उत्तरदायी थी। वि.व. 2012-13 में, एओ ने पश्च अन्वेषण से यह अतिरिक्त सूचना प्राप्त की कि निर्धारिती मै. उत्कंठा ट्रेडिंग प्रा. लि. तथा कम्पनियों के अन्य ग्रुप से नि.व. 2006-07 से नि.व. 2012-13 तक से संबंधित ₹ 2999.01 करोड़ की फर्जी खरीद तथा ₹ 3031.79 करोड़ की बिक्री के लिए उत्तरदायी था। आईटीडी ने निर्धारिती के इस तर्क को स्वीकार किया कि कथित खरीद/बिक्री पृछताछ अथवा निर्धारिती के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रिकॉर्ड के साथ अन्योन्य जांच किए बिना टर्नओवर उद्देश्यों हेतु संयोजन खरीद थी।

निर्धारिती ने निर्धारण प्रक्रिया (वि.व. 2013-14) के दौरान यह स्वीकार किया कि मै. एयरफ्लेक्स इंडस्ट्रिज लि. (₹ 141.62 करोड़), मै. फारवर्ड एक्सपोर्ट ट्रेडिंग (₹ 403.29 करोड़) तथा मै. हेमायरा इंडिया (प्रा.) लि. (₹ 111.05 करोड़) जैसी कम्पनियों को फर्जी बिक्री की गई थी जो संबंधित एओ को सूचित नहीं की गई। नि.व. 2009-10 तथा नि.व. 2010-11 के लिए मै. एयरोफ्लेक्स इंडस्ट्रिज लि. के निर्धारण रिकॉर्ड की जांच ने दर्शाया कि आईटीडी ने फर्जी खरीद को अस्वीकृत करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

मंत्रालय ने आपत्ति को निम्नानुसार कहते हुए स्वीकार किया (20 सितम्बर 2016):

94 2006-07 से 2012-13 तक की ब्लॉक अवधि के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट देखें।

मैं. उत्कंठा ट्रेडिंग प्रा. लि. के साथ फर्जी खरीद/बिक्री को ध्यान में रखते हुए, एओ ने ऐसी संयोजन प्रविष्टि से ₹ 107.60 करोड़ की आय संगणित की। इसके अलावा, एओ ने फर्जी शेयर एप्लीकेशन धन के लिए निर्धारितियों की बहियों में अघोषित आय प्रस्तुतीकरण के कारण ₹ 202 करोड़ की अभिवृद्धि भी की। इसके अलावा, निर्धारिती को टेलीस्कोपिंग का लाभ भी नहीं दिया गया क्योंकि संयोजन टर्नओवर से अघोषित आय को शेयर विनियोग राशि के रूप में ऐसी आय की वृद्धि से अलग से बढ़ाया गया चूंकि निर्धारिती दो के बीच में एक से एक लिंक प्रदान करने में विफल हुआ। इस प्रकार लेखापरीक्षा के प्रतिकूल निष्कर्ष स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि एओ ने संबंधित निर्धारण वर्षों में उचित रूप से अभिवृद्धि की थी।

- मैं. एयरोफ्लेक्स इंडस्ट्रिज लि. तथा अन्यो के साथ लेन देनो के संदर्भ में, एओ ने फर्जी शेयर प्रीमियम सहित निर्धारिती द्वारा की गई फर्जी खरीद/बिक्री के मामले पर विचार किया था तथा नि.व. 2013-14 के लिए मार्च 2016 में निम्न के कारण अभिवृद्धि करते हुए निर्धारण पूर्ण किया:
 - (i) धारा 68 के तहत ₹ 48 करोड़ की फर्जी /अस्पष्ट शेयर प्रीमियम राशि।
 - (ii) कमीशन आय के रूप में 77.04 करोड़ की फर्जी संयोजन प्रविष्टियां (₹ 5136.56 करोड़ की कुल संयोजन प्रविष्टियों का @1.5 प्रतिशत)।
 - (iii) ₹ 94.31 करोड़ की निर्धारित परिसम्पत्तियों की फर्जी खरीद पर मूल्यहास।
 - (iv) धारा 40ए(3) के तहत ₹ 1.47 लाख के बीस हजार रूपए से अधिक राशि हेतु अकाउंट पेयी चेक के बिना भुगतान करना, तथा
 - (v) धारा 36 के तहत ₹ 5.06 लाख की कर्मचारी भविष्य निधि का विलम्बित भुगतान ।
- मंत्रालय ने आगे कहा कि फर्जी बिक्री सहित प्रत्येक फर्जी खरीद के रूप में राजस्व की कोई हानि नहीं थी। इन्हें सामान्य तौर पर तुलन पत्र तथा टर्नओवर आकंडो को बढ़ाने के लिए जारी किया जाता है ताकि अधिक निवल मूल्य दर्शाकर तथा टर्नओवर बढ़ाकर बड़े हुए बैंक ऋण का लाभ उठाया जाए। नि.व. 2013-14 के लिए निर्धारण करते समय एओ ने इस चक्रीय फर्जी लेन देन के लिए निर्धारिती द्वारा अर्जित कमीशन आय को वापिस जोड़ा । एक तथ्यात्मक मामले में,

निर्धारिती ने कम दर पर बिक्री दर्शाई थी तथा अधिक मूल्य पर ग्रे मार्केट में वास्तविक माल बेचा तथा इस प्रकार, इनके टर्नओवर तथा निवल लाभ में कमी आई। इस दावे की पुष्टि करने के लिए रिकॉर्ड में कोई प्रमाण नहीं था कि माल को अधिक मूल्य पर ग्रे मार्केट में बेचा गया है। संबंधित एओज को मै. एयरोफ्लेक्स इंडस्ट्रिज लि., मै. एयरोफ्लेक्स इंडस्ट्रिज लि. के संबंधित क्षेत्राधिकारी एओ, मै. फारवर्ड एक्सपोर्ट ट्रेडिंग तथा मै. हेमीरा इंडिया (प्रा.) लि. जैसी कम्पनियों को की गई फर्जी बिक्री की सूचना न देने के संदर्भ में सूचित किया गया है तथा उपचारात्मक कार्रवाई की गई है।

मंत्रालय का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आईटीडी को निर्धारिती के इस तर्क को स्वीकार नहीं करना चाहिए था कि फर्जी खरीद को उचित जांच किए बिना समरूपी फर्जी बिक्री द्वारा वापिस किया गया था। इस धारणा कि निर्धारिती ने फर्जी खरीद तथा बिक्री केवल टर्नओवर को बढ़ाने के लिए तथा बैंक ऋणों का प्राप्त करने के लिए रिकॉर्ड की थी, को एओ द्वारा प्रारम्भ में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। इसके अलावा, ऐसे दावे की अभिलेख में प्रमाण के साथ पुष्टि नहीं की गई। आईटीडी ने केवल निर्धारिती द्वारा दिए विवरण का उत्तर दिया। निर्धारिती बताई गई फर्जी बिक्री पर डाटा की अन्योन्य जांच से पता चलता है कि लाभार्थियों जिन्होंने प्रविष्टियां प्राप्त की थी, ने इसे अपने लाभ कम करने के लिए उपयोग किया था तथा आईटीडी ने लाभार्थियों की खरीदों को नामंजूर करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी। फलस्वरूप लाभार्थियों ने संयोजन प्रविष्टियों का अनुचित लाभ उठाया।

इसके अलावा, ₹ 107.60 करोड़ की अस्वीकृति वास्तव में फर्जी खरीद के कारण नहीं थी अपितु फर्जी खरीद तथा फर्जी बिक्री जिसका निर्धारिती ने संवृत स्टॉक में यथाप्रदर्शित बिक्री न हुई फर्जी खरीद होने का दावा किया था, की मात्रा (26,147.96 एमटी) में भिन्नता के मूल्य के कारण था। आईटीडी ने फर्जी खरीदों के लिए व्यवस्थाएं करने हेतु ब्रोकर को नकद भुगतान किए गए कमीशन के कारण ₹ 11.47 करोड़ की अभिवृद्धि की थी तथा उत्कंठा ग्रुप से की गई ₹ 2,999.01 करोड़ की कुल फर्जी खरीद के प्रति कोई अभिवृद्धि नहीं की। एओ ने फर्जी खरीद से सृजित कही जाने वाली निधियों की वापसी का पता लगाए बिना शेयर प्रीमियम में ₹ 202 करोड़ की अभिवृद्धि की। आगामी पैराग्राफ में उल्लिखित गनायका स्टील प्रा. लि. के मामले में, आईटीडी ने सहज रूप से निर्धारिती के इस दावे कि खरीद के साथ-साथ समरूपी बिक्री दोनों फर्जी थे, को इस विवरण की सत्यता की अन्योन्य जांच किए बिना अथवा उन कम्पनियों जिनसे निर्धारिती ने संयोजन प्रविष्टियां प्राप्त की थी,

के बैंक खाते का उचित विश्लेषण किए बिना स्वीकार किया। इन फर्जी बिक्री के क्रेताओं ने कम्पनियां बनाई थी परन्तु आईटीडी ने नि.व. 2006-07 से 2012-13 तक की समयावधि के दौरान ₹ 3031.79 करोड़ की फर्जी बिक्री को नामंजूर करने के लिए लाभार्थियों के एओ को सूचित नहीं किया।

इसके अतिरिक्त, यदि यह सिद्ध करने हेतु कोई प्रमाण नहीं था कि आईटीडी ने बिक्री के अवास्तविक होने के दावे अन्योन्य जांच की थी। इसके अलावा, यदि वास्तविक बिक्री हेतु सकल लाभ (जीपी) अनुपात 28.72 प्रतिशत था तो न्यूनतम अभिवृद्धि जीपी अनुपात के 28.72 प्रतिशत होनी चाहिए न कि आईटीडी द्वारा बढ़ाई गई आय का 1.5 प्रतिशत। आईटीडी ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रिकॉर्ड तथा स्टॉक रिकॉर्ड जिसने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 के तहत बनाए जाने हेतु अपेक्षित सांविधिक रिकॉर्डों के वास्तविक प्रमाण के आधार पर बिक्री तथा खरीद की मात्रा में वास्तविक अन्तर को सुनिश्चित किया, की कोई जांच नहीं की। स्टॉक खाते के मात्रात्मक डाटा में मिलान न होने के उपयुक्त प्रमाण अथवा ऐसे सत्यापन के अभाव में, आईटीडी द्वारा दिए गए निष्कर्ष उचित नहीं थे। इसके अलावा, आईटीडी ने अवास्तविक खरीद तथा बिक्री के संदर्भ में निधियों के प्रवाह की जांच करने के लिए बैंक खातों की जांच नहीं की।

5.6.2 मै. गनायका स्टील लि. (पैन AADCG3686N) के पास केवल कम्पनी पेंपरो पर हस्ताक्षर करने के लिए दो निदेशक थे। मै. लोहा इस्पात लि. के निदेशको ने जांच के दौरान यह स्वीकार किया (फरवरी 2012) कि उनके ग्रुप ने प्रभावी रूप से उस मै. गनायका स्टील लि. को प्रबंधित किया था जिसने नि.व. 2010-11 में मै. लोहा इस्पात लि. तथा अन्यो को ₹ 111.75 करोड़ की बिक्री दर्शाई थी। निर्धारिती के बैंक खाते से पता चला कि उसने मै. लोहा इस्पात लि. से ₹ 26.30 करोड़ प्राप्त किए थे। लोहा इस्पात तथा अन्यो से प्राप्त ₹ 76.29 करोड़ की भिन्नता विविध देनदार से किसी प्राप्ति के बिना कम हुई थी, जो यह दर्शाती है कि इसे या तो दूसरे काम में लगाया गया था या धन की प्राप्ति के बिना बटटे खाते में डाला गया था। एक निदेशक तथा मै. लोहा इस्पात लि. के परिवार के सदस्य को कोई कारण दिए बिना ₹ 9.38 करोड़ (नि.व. 10-11) तथा ₹ 13.41 करोड़ (नि.व. 2012-13) के हस्तांतरण किए गए। यह मै. लोहा इस्पात लि. के निदेशको के परिवार के सदस्यों को धन के व्यवस्थित विपथन का सूचक था। आईटीडी ने उक्त कमियों की जांच नहीं की तथा ₹ 111.75 करोड़ अर्थात् ₹ 2.24 करोड़ (नि.व. 2010-11) तथा ₹ 19.04 करोड़ का 2 प्रतिशत अर्थात् ₹ 38.07 लाख (नि.व. 2012-13) की बिक्री की मात्रा दो प्रतिशत अभिवृद्धि की।

5.6.3 मै. एसकेएम रियल इन्फ्रा लि. (पैन AAFCS2659R) मै. श्री राम मिल्स की एक ग्रुप कम्पनी थी। फरवरी 2013 में मै. श्रीराम मिल्स ग्रुप के किए गए सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि निर्धारिती कम्पनी ने हवाला परिचालको से ₹ 32.46 करोड़ के मूल्य की खरीद हेतु संयोजन बीजक लिए थे तथा ₹ 21.38 करोड़ की समरूपी बिक्री की थी तथा शेष ₹ 11.06 करोड़ को समापन स्टॉक में शामिल किया गया। आईटीडी ने संयोजन प्रविष्टियां होते हुए भी ₹ 21.38 करोड़ की बिक्री के केवल पांच प्रतिशत अर्थात ₹ 1.07 करोड़ (नि.व. 2009-10) को अस्वीकृत किया। फर्जी बिक्री (₹ 3.00 करोड़) के एक प्राप्तकर्ता मै. कृष्णा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन जिसने आय की रिटर्न फाइल नहीं की, की अन्योन्य जांच से यह पता चला कि विभाग ने ऐसी फर्जी बिक्री जिसे विभिन्न व्यवसाय प्रतिष्ठानों के माध्यम से पारित किया गया था, के अंतिम लाभार्थियों की खोज नहीं की।

5.6.4 मै. गिनी एंड जोनी लि. ने यह स्वीकार किया कि नि.व. 2012-13 में ₹ 14.52 करोड़ की खरीद उस माल के आवागमन के बिना फर्जी थी जिसे इसकी सहायक मै. जी.जे. फ्रीडम फैशनस प्रा.लि. (पैन AACCG5427E) को बदले में दिया गया था। आईटीडी ने मै. गिनी एंड जोनी लि. की रिटर्न आय के प्रति खरीद राशि के केवल दो प्रतिशत ₹ 29.06 लाख की अभिवृद्धि की। हालांकि सहायक कम्पनी, अंतिम लाभार्थी में कोई अस्वीकृति नहीं की गई।

मंत्रालय ने यह कहते हुए आपत्ति को स्वीकार किया (20 सितम्बर 2016) कि ₹ 14.52 करोड़ की फर्जी बिक्री का मामला जांच के अन्तर्गत था, निर्धारण रिकॉर्ड सरलता से उपलब्ध नहीं थे। जांच के पश्चात, सुधारात्मक कार्रवाई आरम्भ की जाएगी।

5.7 अवास्तविक प्रविष्टिओं/खरीदों वाले मामलों में अभिवृद्धि को नामंजूर करने/अभिवृद्धि करने में विसंगति

हमने लाभार्थियों के 845 मामलो का विश्लेषण किया जिन्होंने कुल ₹ 1167.11 करोड़ के फर्जी बीजक प्राप्त किए थे जिसके प्रति रिटर्न आय के लिए फर्जी खरीदों के औसतन 18.04 प्रतिशत पर ₹ 210.55 करोड़ की अभिवृद्धि की गई। 344 मामलो में, एओज ने की गई अस्वीकृति के समर्थन में आयकर अधिनियम की कोई धारा दर्ज नहीं की। अननुमति के लिए क्रमशः 231 मामलो, 44 मामलो तथा 170 मामलो में आयकर अधिनियम की धारा 37,68 तथा 69 को उद्धरित किया गया था। एओ ने धारा 68 तथा 69 के तहत आनुपातिक अननुमति की हालांकि इन धाराओं में सम्पूर्ण राशि यदि वह अस्पष्ट थी, कि अननुमति हेतु प्रावधान था। एओज ने धारा 145(3) के तहत

19 मामलो में लेखा बहियों को खारिज किया, 17 मामलो में 12.5 प्रतिशत की अननुमति की तथा दो मामलो में पूर्ण अननुमति। अननुमति की प्रतिशतता ₹ 1021.02 करोड़ (मूल्य का 87.48 प्रतिशत) की फर्जी खरीद सहित 536 मामलो में 2 से 30 प्रतिशत तक बनती थी। ₹ 124.61 करोड़ के 279 मामलों में पूर्ण अस्वीकृति की गई। अस्वीकरण प्रक्रिया में उद्यम के विशिष्ट प्रकार अथवा परिचालन की प्रकृति से संबंधित कोई न्यायसंगत पैटर्न लागू किए बिना तदर्थ प्रतिशतता, सकल लाभ मार्जिन अथवा अधिकतम क्रेडिट प्रक्रिया सम्मिलित थी।

5.7.1 लेखापरीक्षा ने मै. उत्कंठा ट्रेडिंग प्रा. लि. के लाभार्थियों के लिंक की जांच की तथा निम्नानुसार पाया:

- नि.व. 2009-10 के लिए मै. उत्कंठा ट्रेडिंग प्रा. लि. का निर्धारण दिसम्बर 2011 में पूरा किया गया। हमने श्री अभिषेक एस. मोरारका, निदेशक, मै. उत्कंठा ट्रेडिंग प्रा. लि. द्वारा जनवरी 2010 में एमएसटीडी को दिए हलफनामे से यह देखा कि अन्य कम्पनियों के साथ कम्पनी वास्तविक बिक्री अथवा खरीद के बिना केवल संयोजन बीजक दे रही थी। भुगतान को बैंक के माध्यम से तथा कमीशन को रोककर प्राप्त किया गया, लाभार्थी को पुनः भुगतान किए गए। एमएसटीडी ने कम्पनी को संदिग्ध डीलर के रूप में घोषित किया। इसे आईटीडी को भी बताया गया (जुलाई 2012)। एओ ने आपत्ति को स्वीकार किया तथा धारा 263 के तहत निर्धारण पुनः आरम्भ करके अभिवृद्धियां की (जनवरी 2014) जैसाकि नीचे दिया गया है:

नि.व.	बिक्री	खरीद	अस्वीकृति का आधार	(₹ करोड़ में) की गई अभिवृद्धि
2009-10	179.68	178.77	खरीद का 0.5 प्रतिशत	0.89
2010-11	43.54	61.77	उच्च क्रेडिट प्रक्रिया	0.66
2011-12	56.14	38.15	उच्च क्रेडिट प्रक्रिया	0.24

बैंको ने 2013 में एओ को यह सूचित किया कि निर्धारिती ने या तो बैंक खाते को बन्द किया या खाते में शून्य बैलेंस अथवा बहुत कम बैलेंस छोड़ा। इस प्रकार, विभाग मांग की वसूली करने की स्थिति में नहीं था।

- इसी प्रकार, आईटीडी ने कार्रवाई के किसी एकसमान पैटर्न को लागू किए बिना मै. उत्कंठा ग्रुप की अन्य ग्रुप कम्पनियों में अभिवृद्धि की थी जैसाकि नीचे दिया गया है:

नि.व.	बिक्री	खरीद	अस्वीकृति का आधार	(₹ करोड़ में) की गई अभिवृद्धि
मै. सिटीबेस मल्टीट्रेड प्रा.लि., (पैन-AADCC4376R) - आईटीओ 4(1), थाणे				
2010-11	405.03	डाटा उपलब्ध नहीं	₹ 405.03 करोड़ का 5 प्रतिशत	20.25
2011-12	122.56	122.44	₹ 8.78 करोड़ का 1.25 प्रतिशत	0.11
2012-13	42.15	8.06	कोई अनुमति नहीं	शून्य
मै. केंडी फिल्टर्स (बम्बई) लि. (पैन-AAACC4124C) - आईटीओ(1)(1)(2), मुम्बई				
2009-10	113.06	112.85	₹ 113.06 करोड़ का 0.25 प्रतिशत	0.28
2010-11	182.86	182.77	₹ 56.80 करोड़ का 0.25 प्रतिशत	0.14
2011-12	5.81	8.31	निर्धारित नहीं	शून्य
2012-13	6.5	6.47	कोई अनुमति नहीं	शून्य
मै. रियलस्टोन एक्सपोर्ट्स लि. (पैन-AACCR8504K) - आईटीओ 11(1)(2), मुम्बई				
2010-11	273.22	290.59	₹ 279.76 करोड़ का 1 प्रतिशत	2.78
2011-12	59.85	85.55	₹ 115.90 करोड़ का 1 प्रतिशत	1.16
2012-13	68.57	68.2	₹ 30.07 करोड़ का 1 प्रतिशत	0.3
मै. सिद्धपाठ ट्रेडिंग प्रा. लि. (पैन-AAMCS2192L) - आईटीओ 1(3)(2), मुम्बई				
किसी निर्धारण वर्ष में कोई अननुमति नहीं की गई				
मै.दुरालॉय कट्टर्स प्रा. लि. (पैन-AABCD4127B) - आईटीओ 6(2)(3), मुम्बई				
लेखापरीक्षा को फाइले प्रस्तुत नहीं की गई				

उक्त से पता चलता है कि मै. सिटीबेस मल्टीट्रेड प्रा.लि. ने नि.व. 2012-13 के लिए ₹ 8.06 करोड़ की खरीद की। नि.व. 2012-13 के लिए मै. रियलस्टोन एक्सपोर्ट प्रा. लि. के अभिलेखों की जांच से यह पता चला कि मै. सिटीबेस मल्टीट्रेड प्रा. लि. को की गई कुल बिक्री ₹ 8.06 करोड़ के प्रति ₹ 44.76 करोड़ थी। आईटीडी ने भिन्नता के मिलान के लिए कोई प्रयास नहीं किया।

- इसके अलावा, उत्कंठा ग्रुप ने 23 कम्पनियों (एमएसटीडी द्वारा जांच की गई छः कम्पनियों सहित) की एक श्रृंखला बनाई जो अपनी बहियों में अवास्तविक व्ययों की बुकिंग से ₹ 647 करोड़ से अधिक आयकर के भुगतान से बचने में लाभार्थियों की सहायता करने के लिए वास्तविक बिक्री तथा खरीद के बिना जटिल सर्कुलर ट्रेडिंग, एक बहुत गंभीर आर्थिक अपराध, में लगे हुए थे। अधिनियम की धारा 276 के प्रावधानों के तहत कम्पनियों के निदेशकों पर मुकदमा चलाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई तथा उनकी कम्पनियां अल्प वृद्धि करके कर मुक्त हो गईं। लेखापरीक्षा को ₹ 2,183.72 करोड़ की कुल बिक्री राशि के प्रति

उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के अनुसार, विभाग ने केवल ₹ 26.94 करोड़ को नामंजूर किया जो औसतन 1.23 प्रतिशत था।

मंत्रालय ने आपत्ति को निम्नवत कहते हुए स्वीकार किया (20 सितम्बर 2016):

मैं. उत्कंठा ट्रेडिंग प्रा. लि. के मामले में, निर्धारिती की आय को प्रत्येक वर्ष के तथ्यों के आधार पर आकलित किया गया। लेखापरीक्षा ने आय का आकलन करने के लिए ऐसी प्रक्रिया के उपयोग पर कोई विशिष्ट प्रक्रिया वर्णित नहीं की।

मैं. केन्डी फिल्टर्स (बम्बई) लि. के मामले में; नि.व. 2009-10 तथा 2010-11 के लिए 0.25 प्रतिशत कमीशन आय की अभिवृद्धि अन्वेषण विंग से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर की गई थी। नि.व. 2011-12 हेतु मामले का पुनः प्रारम्भ करने का प्रस्ताव भेजा जा रहा है। नि.व. 2012-13 में कोई ऐसा सर्कुलर/प्रविष्टि प्रदान करने वाला लेने देन नहीं पाया गया तथा निर्धारिती ने अपना व्यापार परिवर्तित किया था।

मैं. रियलस्टोन एक्सपोर्ट लि. के मामले में, अभिवृद्धियों को समान रूप से बिक्री तथा खरीद पर एक प्रतिशत की दर पर किया गया। शास्ति का उदग्रहण भी किया गया था।

मैं. सिद्धपाठ ट्रेडिंग प्रा. लि. के मामले में, नि.व. 2009-10 में फर्जी खरीद हेतु कोई सूचना नहीं थी। नि.व. 2010-11 तथा 2011-12 से संबंधित मामलों को पुनः आरम्भ करने हेतु प्रस्ताव भेजे गए हैं।

चार मामले में आईटीडी द्वारा की गई कार्रवाई के संदर्भ में, लेखापरीक्षा का मत है कि:

मैं. उत्कंठा ट्रेडिंग प्रा. लि. के मामले में, वर्ष दर वर्ष समान निर्धारण प्रभार में की गई नामंजूरी के संदर्भ में की गई अभिवृद्धियों में सामंजस्य का उस स्थिति में पूर्ण अभाव था जब निर्धारिती संयोजन प्रविष्टियां देने की समान पद्धति का अनुसरण कर रहा था। स्पीकिंग आर्डर में यह विनिर्दिष्ट नहीं था कि एक विशिष्ट प्रक्रिया अधिकतम क्रेडिट प्रक्रिया का उपयोग संबंधित निर्धारण वर्षों में क्यों किया गया तथा स्वीकार न करने की प्रतिशतता को कैसे प्राप्त किया गया। अधिकतम क्रेडिट प्रक्रिया का उपयोग करने के लिए, निधियों के आवर्तन के स्पष्ट प्रमाण की आवश्यकता थी जबकि आईटीडी ने निधियों का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में बैंक खाते भी प्राप्त नहीं किए। अधिकतम क्रेडिट प्रक्रिया की निर्धारिती द्वारा आपूर्त किए गए डाटा के आधार

पर योजना बनाई गई थी जिसे न तो बैंक खातो के साथ सत्यापित किया गया न ही उसकी लाभार्थियों के अभिलेखों के साथ अन्योन्य जांच की गई।

मै. केन्डी फिल्टर्स (बम्बई) लि. के मामले में, समान ग्रुप कम्पनी में आईटीडी ने पांच प्रतिशत नामंजूर किया। इस कम्पनी में समान रहने वाले सभी पहलुओं में आईटीडी ने इस मामले में केवल 0.25 प्रतिशत की अभिवृद्धि यह विस्तार किए बिना की कि 0.25 प्रतिशत की नामंजूरी को कैसे प्राप्त किया गया तथा इस प्रतिशतता तक पहुंचने के लिए कौन सी कार्य प्रणाली उपयोग की गई। नि.व. 2012-13 के लिए, मै. गिनी एंड जोनी लि. (इस रिपोर्ट के आगामी पैरा 5.6.4 में चर्चित) के अभिलेखों की जांच से पता चला कि निर्धारिती ने ₹ 49.82 लाख वाली संयोजन प्रविष्टियां दी थीं। अतः निर्धारिती ने कोई सर्कुलर/प्रविष्टि नहीं की थी न ही नि.व. 2012-13 में अपना व्यापार परिवर्तित किया। कोई भी व्यक्ति मान्य पंजीकरण⁹⁵ के बिना माल नहीं बेच सकता। निर्धारिती ने फर्जी प्रविष्टियां देना जारी रखा भले ही पंजीकरण को रद्द कर दिया गया था। आईटीडी ने संव्यवहारों की पूर्ण कमी की जांच नहीं की जबकि इसके प्रमाण थे। उनका यह निष्कर्ष कि नि.व. 2012-13 में कोई सर्कुलर/प्रविष्टि संव्यवहार नहीं था, तथ्यों पर आधारित नहीं था तथा न ही नियमानुसार था।

मै. रियलस्टोन एक्सपोर्ट लि. के मामले में, एक प्रतिशत की दर पर नामंजूरी का पता लगाने के लिए आधार को स्पीकिंग आर्डर में वर्णित नहीं किया गया। आईटीडी ने निधियों का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए बैंक खातों की जांच नहीं की। इसके अलावा, प्रविष्टि प्रदाताओं की संवीक्षा के बहु उद्देश्य को विफल करने वाली नामंजूरी करने के लिए लाभार्थियों के एओज को फर्जी बिक्री पर सूचना नहीं दी गई।

मै. सिद्धपाठ ट्रेडिंग प्रा. लि. के मामले में, उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत था तथा इसे श्री अभिषेक एस. मोरार्का, मै. उत्कंठा ट्रेडिंग प्रा. लि. के निदेशक द्वारा जनवरी 2010 में एमएसटीडी को दिए गए उस प्रमाण हलफनामे पर ध्यान दिए बिना दिया गया था जिसमें यह उल्लेख था कि मै. सिद्धपाठ ट्रेडिंग (प्रा.) लि. सहित अन्य कम्पनियों के साथ कम्पनी वास्तविक बिक्री अथवा खरीद के बिना संयोजन बीजक दे रही थी जिससे यह प्रमाणित हुआ कि कम्पनी संयोजन प्रविष्टियां देने में लगी हुई थी। इस स्पष्ट प्रमाण के बावजूद, निर्धारिती ने लाभार्थियों को अपनी आय घटाकर कर से बचने में उन्हें सक्षम बनाने के लिए नि.व. 2009-10 में ₹ 176.18 करोड़ की संयोजन

95 एमवीएटी का नियम 9

प्रविष्टियां दी थी परन्तु आईटीडी ने निर्धारिती के प्रति कोई कार्रवाई नहीं की। नि.व. 2009-10 के लिए निर्धारण कालबाधित हो गया जिसके फलस्वरूप राजस्व की हानि हुई। आगामी नि.व. 2010-11 तथा 2011-12 में, आईटीडी ने लेखापरीक्षा के मामले में कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं की। नि.व. 2012-13 जिसमें ₹ 48.63 करोड़ की संयोजन प्रविष्टियां सम्मिलित थी, के लिए कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं की गई है।

5.7.2 एमएसटीडी ने मै. कलरशॉप ट्रेडिंग (प्रा.) लि. (पैन ACCC6822H) को एक हवाला डीलर के रूप में घोषित किया। कम्पनी के निदेशक श्री राजीव राजेन्द्र मोदी तथा श्री राजेन्द्र भाई मोदी पांच अन्य कम्पनियों में भी निदेशक थे। नि.व. 2012-13 का निर्धारण महज ₹ 1.33 करोड़ अर्थात्, ₹ 266.08 करोड़ की बिक्री के 0.50 प्रतिशत की अभिवृद्धि कर के 20 मार्च 2015 को धारा 144 के तहत पूर्ण किया गया। आईटीडी ने यह जानने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की कि अन्य सहयोगी कम्पनियों का निर्धारण किया जा रहा था अथवा नहीं। हमने देखा कि मै. ऑरबिट प्रोडक्ट्स प्राइवेट लि. ग्रुप में से केवल एक कम्पनी ने नि.व. 2010-11 के लिए तथा उसके बाद से अपनी रिटर्न फाइल की थी परन्तु फर्जी बीजको के प्राप्तकर्ताओं का पता लगाने के लिए इस कम्पनी का संवीक्षा निर्धारण नहीं किया गया।

5.8 अन्य मध्यवर्ती संस्थाओं तथा लाभार्थियों के मामले में असमान अभिवृद्धि

हमने देखा कि मध्यवर्ती संस्थाओं तथा लाभार्थियों से संबंधित मामलों में, आईटीडी द्वारा फर्जी खरीदों की अभिवृद्धियों तथा अननुमतियों में सामंजस्य का अभाव था।

5.8.1 मै. देव स्टील (पैन-AADFD9093M) ने मै. यूनिटी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लि. को ₹ 108.61 करोड़ के संयोजन बिल दिए थे जिसके लिए एओ ने अन्वेषण विंग द्वारा परामर्शित पांच प्रतिशत के प्रति दो प्रतिशत (नि.व. 2006-07 से 2010-11) पर अननुमति की क्योंकि निर्धारिती द्वारा दर्शाया गया 1.54 का जीपी अनुपात बहुत कम था।

मंत्रालय ने यह कहते हुए आपत्ति को स्वीकार किया (20 सितम्बर 2016) कि धारा 263 के तहत आदेश नि.व. 2006-07 से 2010-11 तक के लिए पारित किया गया है तथा नया निर्धारण दिसम्बर 2016 तक पूर्ण कर दिया जाएगा।

5.8.2 श्रीमति सुमन विजय गुप्ता (पैन-AHQPG6220P) के मामले में, एओ ने नि.व. 2010-11 के दौरान ₹ 2.70 करोड़ की फर्जी खरीद के ₹ 67.52 लाख अर्थात् केवल 25 प्रतिशत को अस्वीकृत किया था (मार्च 2013)। हालांकि ऐसे ही एक मामले में, एओ ने फर्जी खरीद की कुल राशि को अस्वीकृत किया। आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (जनवरी 2014)।

मंत्रालय ने यह कहते हुए आपत्ति को स्वीकार किया (20 सितम्बर 2016) कि नि.व. 2010-11 के लिए धारा 153ए के तहत कार्रवाई प्रक्रियागत थी तथा इसे लेखापरीक्षा द्वारा यथाइंगित ₹ 2.70 करोड़ की कुल फर्जी खरीद को नामंजूर करके 31.12.2016 तक पूरा किया जाएगा।

5.8.3 एक मध्यस्थ के रूप में श्री मोहित जैन (पैन-AFAPJ6477R) ने हवाला पार्टियों से ₹ 9.69 करोड़ के फर्जी बिल प्राप्त किए थे तथा बाद में उन्हें रेडीमेड स्टील इंडिया लि. को अग्रेषित किया जिसने इसे वास्तविक लाभार्थियों को दिया। एओ ने ट्रेडिंग संबंधित मामले में समान्य तौर पर अपनाई जा रही 12.50 प्रतिशत के प्रति बिक्री (नि.व. 2010-11) के तीन प्रतिशत पर सकल लाभ का आकलन किया। एओ ने रेडीमेड स्टील के एओ को मामला सूचित भी नहीं किया ताकि अस्वीकृति की कमी को पूरा किया जा सके।

मंत्रालय ने यह कहते हुए आपत्ति को स्वीकार नहीं किया (16 नवम्बर 2016) कि निर्धारित अवास्तविक बिलों के प्रविष्टि प्रदाताओं के लिंक का केवल एक भाग था तथा मै. रेडीमेड स्टील इंडिया लिमिटेड के लिए अपने द्वारा व्यवस्थित बिलों का स्व लाभार्थी नहीं था। निर्धारित ने वर्ष के दौरान अपने द्वारा जारी फर्जी बिलों की राशि पर 1.56 प्रतिशत का जीपी घोषित किया था। इस प्रकार निर्धारण आदेश में एओ द्वारा की गई तीन प्रतिशत की अस्वीकृति के अतिरिक्त इस आधार पर ऐसी कोई अतिरिक्त नामंजूरी उचित रूप से नहीं की जा सकती। हालांकि विभाग ने बोर्ड के अनुदेश के मद्देनजर उपचारात्मक कार्रवाई शुरू कर दी थी और मै. रेडीमेड स्टील इंडिया लि. के साथ निर्धारित के संव्यवहारों को नामंजूर किया था जो पूर्ण रूप से लगभग ₹ 5.75 करोड़ हैं।

यह उत्तर निम्नलिखित कारणों से मान्य नहीं था:

- (i) सामान्यतः व्यापार संबंधित मामलों में, विभाग 12.5 प्रतिशत से 25 प्रतिशत की अभिवृद्धि कर रहा है जबकि इस मामले में की गई अभिवृद्धि केवल 3 प्रतिशत थी। लेखापरीक्षा का उद्देश्य विभाग की विसंगति को दर्शाना था।

- (ii) आदर्शतः फर्जी प्रविष्टि प्रदाता के रूप में निर्धारिती की पहचान करने वाले विभाग को इन फर्जी प्रविष्टि प्रदाताओं के अंतिम लाभार्थियों का पता लगाकर कमी को पूरा करना चाहिए। हालांकि, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए रिकॉर्ड से यह पता नहीं चला कि विभाग द्वारा ऐसा कोई प्रयास किया गया था।

5.8.4 मै. सिद्धिविनायक मार्केटिंग (पैन-ABGFS8797K) तथा मै. रवि रियटर्स (पैन-AAEFR0239C) ने तीन हवाला डीलरो से ₹ 6.86 करोड़ तथा ₹ 7.21 करोड़ की फर्जी खरीद की थी परन्तु एओ ने कोई अभिवृद्धि नहीं की (नि.व. 2011-12)।

मंत्रालय ने यह कहते हुए आपत्ति को स्वीकार किया (20 सितम्बर 2016) कि यह सुनिश्चित करने योग्य नहीं था कि फर्जी खरीद के संबंध में सूचना को अधिनियम की धारा 263 के तहत अदेश पारित करते समय रिकॉर्ड में उपलब्ध कराया गया। उचित समय में उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

लेखापरीक्षा का मत है कि मै. सिद्धिविनायक मार्केटिंग के मामले में, निर्धारण फाइलो में यह साक्ष्य दर्ज था कि आईटीडी ने बिक्री कर विभाग से फर्जी खरीद के विषय में अपेक्षित सूचना प्राप्त की थी। हालांकि आईटीडी ने कोई अभिवृद्धि अथवा नामंजूरी नहीं की। आईटीडी को सिस्टम में सुधार करने की आवश्यकता है। संयोजन प्रविष्टि प्रदाता (इस मामले में द उत्कंठा ग्रुप) का निर्धारण उपयोग विवरण प्राप्त करने के लिए एक साधन के रूप में किया जाना चाहिए तथा प्रविष्टि प्रदाताओं से निधियों की वापसी सहित सभी प्रमाणों को उद्धृत करने के पश्चात लाभार्थियों द्वारा की गई खरीदों को नामंजूर करने के लिए कथित प्रमाण का उपयोग किया जाना चाहिए। संबंधित एओज के बीच समन्वय तथा उचित डाटा शेयरिंग में कमी के परिणामस्वरूप सरकारी राजकोष को राजस्व की हानि होगी। रवि रियलटर्स के मामले में, इसे मार्च 2015 में लेखापरीक्षा में बताए जाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

5.9 संदेहास्पद खरीदों के अन्य अनुपालन मामले

हमने संदेहास्पद खरीदों के विविध मामले देखे जहां आईटीडी ने कोई नामंजूरी नहीं की अथवा वह सही नामंजूरी करने में विफल हुआ। पांच मामले नीचे दिए गए हैं:

5.9.1 मै. श्री राम अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. (पैन-AACCS0454P), के मामले में, एओ ने सर्वेक्षण कार्य (फरवरी 2013) के दौरान बताई गई फर्जी खरीदो के कारण नि.व. 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान ₹ 38.43 करोड़ की कुल राशि को नामंजूर किया (मार्च 2014) तथा इसकी कटौती चालू कार्य से की गई थी। परन्तु आगामी नि.व. 2011-12 में इसकी कटौती चालू कार्य से नहीं की गई।

मंत्रालय ने यह कहते हुए आपत्ति को स्वीकार किया (20 सितम्बर 2016) कि निर्धारिती लेखांकन की प्रतिशतता पूर्णता प्रक्रिया का अनुसरण कर रहा था तथा नि.व. 2012-13 में केवल राजस्व की पहचान हुई है, चूंकि परियोजना 30 प्रतिशत से कम पूरी हुई थी। इसलिए, हालांकि अंतिम डब्ल्यूआईपी को नि.व. 2009-10 तथा 2010-11 के लिए निर्धारण आर्डर में की गई नामंजूरी को ध्यान में न रखकर प्रतिकूल रूप से निकाला गया तथापि, इसमें संबंधित निर्धारण वर्ष अर्थात् नि.व. 2011-12 की आय पर कोई राजस्व प्रभाव नहीं है क्योंकि नि.व. 2011-12 में कोई बिक्री नहीं हुई तथा राजस्व को कथित निर्धारण वर्ष में निर्धारित नहीं किया गया। फलस्वरूप, जब नि.व. 2012-13 में राजस्व को निर्धारित किया गया तो अन्तिम डब्ल्यूआईपी को नि.व. 2009-10 से नि.व. 2012-13 में की गई नामंजूरी को ध्यान में रखकर सही प्रकार से निकाला गया। हालांकि, नि.व. 2011-12 हेतु निर्धारण आदेश में असावधानी से हुई चूको को सही करने के लिए, आवश्यक सुधार किए जाएंगे ताकि अंतिम डब्ल्यूआईपी सही प्रकार से परिलक्षित हो।

लेखापरीक्षा का मत है कि विभाग ने पिछले निर्धारणों में डब्ल्यूआईपी में कमी पर विचार किए बिना नि.व. 2011-12 के मामले का निर्धारण किया। यह इस तथ्य का सूचक था कि विभाग ने निर्धारण आर्डर बनाते समय अपने स्वयं के रिकॉर्ड को परस्पर सम्बंधित नहीं किया। यह नहीं कहा जा सकता कि चूक में कोई कर प्रभाव नहीं था। यदि लेखापरीक्षा में यह मामला नहीं उठाया गया तो निर्धारिती आगामी नि.व. में डब्ल्यूआईपी में फर्जी खरीदो को सम्मिलित करके करयोग्य लाभ को कम करने में सक्षम होगा।

5.9.2 मै. इरिका हेल्थकेयर प्राइवेट लि. (पैन-AABCN5831E) ने 4 हवाला डीलरो से ₹ 18.35 करोड़ की खरीद की थी। एओ ने इस आधार पर कोई अभिवृद्धि नहीं की (मार्च 2013) कि निर्धारिती ने सर्कुलर ट्रेड किया था जिसमें कर के लिए ₹ 37.89 लाख दिए गए थे (नि.व. 2010-11)। हालांकि, हमने यह देखा कि वास्तव में निर्धारिती ने हवाला पार्टियों के साथ सर्कुलर प्रविष्टियों के माध्यम से ₹ 1.99 करोड़ की हानि बुक की थी।

मंत्रालय ने यह कहते हुए आपत्ति को स्वीकार किया (20 सितम्बर 2016) कि धारा 148 के तहत नोटिस जारी किया गया है, संवीक्षा कार्य प्रक्रियाधीन है, अंतिम रिपोर्ट संवीक्षा के पूर्ण होने पर प्रस्तुत की जाएगी।

5.9.3 मै. गापाल कृष्णा पेपर्स प्रा. लि.(पैन-AAACG3597M) ने दो हवाला परिचालकों से ₹ 4.89 करोड़ की खरीद की थी। एओ ने नि.व. 2010-11 से संबंधित निर्धारण आर्डर में कोई नामंजूरी नहीं की हालांकि निर्धारिती ने ₹ 4.89 करोड़ की खरीद के प्रति केवल ₹ 79.46 लाख की बिक्री की। निर्धारिती ने विविध देनदारों में समायोजन करके ₹ 2.77 करोड़ की देयता तथा कोई ठोस कारण दिए बिना अप्रतिभूति ऋणों को समाप्त किया।

5.9.4 मै. इंडिगो एजुटेनमेंट प्रा.लि.(पैन-AABCI2949E), के मामले में, आईटीडी ने लेखाओं में दर्ज ₹ 42.13 करोड़ की वास्तविक राशि के बजाय जाली कम्पनी मै. डाटाबेस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्रा. लि. से ₹ 16.18 करोड़ की अघोषित खरीद (नि.व. 2008-09) की अभिवृद्धि की (मार्च 2014)। इस प्रकार, ₹ 25.95 करोड़ का कम निर्धारण हुआ। इसके अलावा दो कम्पनियों मै. बसन्त मार्केटिंग प्रा.लि. तथा मै. हिमाचल फूटूरीसटीक कम्यूनिकेशन लि. से कुल ₹ 82.05 करोड़ की फर्जी खरीद को नामंजूर नहीं किया गया।

मंत्रालय ने यह कहते हुए आपत्ति को स्वीकार किया (20 सितम्बर 2016) कि धारा 143(3) /263 के तहत आर्डर अघोषित खरीदों के ₹ 112.97 करोड़ की अभिवृद्धि करके 18.03.2016 को पारित किया गया है।

5.9.5 मै. सिद्धार्थ प्रफुल मेहता (पैन-AEXPM2847Q), के मामले में, नि.व. 2010-11 के लिए फर्जी खरीदों की संगणना करते समय, आईटीडी ने नि.व. 2009-10 के दौरान हवाला परिचालकों से खरीद के प्रति एमएसटीडी द्वारा सूचित ₹ 3.78 करोड़ की बजाय नि.व. 2008-09 से संबंधित ₹ 1.40 करोड़ की खरीद को गलती से नामंजूर किया (मार्च 2013)।

यह अस्वीकृति भी वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु एमएसटीडी द्वारा रिपोर्ट किये गये आंकड़ों के अनुरूप नहीं थी और नि.व. 2009-10 के लिए भी सुधारात्मक कार्यवाही की जानी अपेक्षित थी।

मंत्रालय ने यह कहते हुए प्रेक्षण स्वीकार किया (20 सितम्बर 2016) कि धारा 154 के अंतर्गत आदेश 21.11.2013 को पारित किया गया जिसमें खरीद ₹ 1.40 करोड़ की बजाय ₹ 3.78 करोड़ ली गई थी।

5.10 अपील में अपास्त किए गए संवर्धन

हमने आईटीएटी द्वारा निर्णीत 25 मामलों का विश्लेषण किया (परिशिष्ट 5.2) और देखा कि 18 मामलों में किये गये परिवर्धन अपास्त कर दिए गए थे। तीन मामले पुनः निर्णय हेतु वापस किये गये थे और चार मामलों में परिवर्धन अवास्तविक खरीद के 6 से 20 प्रतिशत की रेंज में आंशिक रूप से कायम रहा। परिवर्धन पर ध्यान देने का मुख्य कारण यह था कि परिवर्धन कोई भी स्वतंत्र जांच या विस्तृत जांच किये बिना केवल एमएसटीडी से प्राप्त जानकारी के आधार पर था।

परिवर्धनों को स्थापित करने के लिये राज्य कर/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के प्राधिकारियों के साथ समन्वय में अवास्तविक लेन-देन की पूरी श्रृंखला कवर करने वाली जांच समीक्षा प्रक्रिया और साक्ष्य एकत्र करने के तंत्र को सुदृढ़ करने के लिये उचित दिशानिर्देशों/निर्देशों के अभाव के परिणामस्वरूप वे टिक नहीं पाए और उन्हें अपील में अपास्त कर दिया गया।

मंत्रालय ने कहा (20 सितम्बर 2016) कि अवास्तविक खरीद, हवाला लेन-देन आदि शुरू करने की प्रथा से निपटने और नियंत्रित करने के लिये आयकर अधिनियम में पर्याप्त उपाय हैं। इसके अतिरिक्त, कार्यवाही करने के लिये क्षेत्रीय प्राधिकारियों के लिये प्रभावी निगरानी की आवश्यकता होगी। सूचना और चूककर्ता से सर्वोत्तम संभव तरीके से निपटने के साथ-साथ सूचना एकत्र करने और सूचना का आदान प्रदान करने में बेहतर समन्वय हेतु क्षेत्रीय आर्थिक खुफिया जाँच समिति (आरईआईसी) का गठन किया गया है। ऐसी जानकारी से निपटने के लिये कोई समान कानून नहीं हो सकता और उनसे निपटने के लिये कानून में पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हैं। तकनीक और विशेष वित्तीय लेन-देन से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिये अधिनियम के प्रावधानों की प्रगति के साथ कार्यवाही योग्य सूचना में बाधा को हटाया जा रहा है। उचित मामलों में जुर्माने की वसूली और अभियोजन शुरू करने से संबंधित प्रावधान हैं। प्रभावी निगरानी इस समस्या से भी निपट लेगी।

तथापि, लेखापरीक्षा निष्कर्ष मंत्रालय के आशापूर्ण दृष्टिकोण की पुष्टि नहीं करते क्योंकि विभाग ने एमएसटीडी से प्राप्त जानकारी के बाद कोई भी अर्थपूर्ण जांच नहीं की और साक्ष्य जिसे अपीलीय फोरम में वैध ठहराया जा सके प्रस्तुत किये बिना केवल ऐसी जानकारी के आधार पर परिवर्धन किया।

5.11 निष्कर्ष

एमएसटीडी द्वारा पब्लिक डोमेन में दर्शाई गई खरीद और अवास्तविक बिक्री के मामले में विशिष्ट संदर्भ में काले धन की उत्पत्ति और बेहिसाब आय को न बताने से निपटने के लिए आईटीडी के तरीके की लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि विभाग के नियंत्रण में उपलब्ध साधनों का कोई भी प्रभावी उपयोग नहीं किया गया है। विभाग ने अवास्तविक खरीद हेतु समायोजन प्रविष्टियाँ देने से जुड़ी एमएसटीडी की सूची में प्रदर्शित सभी निर्धारितियों की संवीक्षा भी नहीं की। अवास्तविक खरीद से संबंधित जानकारी उन एओज़ जो लाभार्थियों का मूल्यांकन कर रहे थे को उस समय नहीं दी गई जब प्रविष्टि प्रदाता का निर्धारण किया गया था। मौजूदा प्रावधान निवारक के रूप में कार्य नहीं कर रहे थे क्योंकि समायोजन प्रविष्टियाँ देने और प्राप्त करने हेतु कोई हतोत्साहन नहीं हैं। स्थापित कम्पनियों ने भी अवास्तविक खरीद प्राप्त करने की प्रथा का सहारा लिया जो दर्शाता है कि साक्ष्य एकत्र करने और उस पर कार्यवाही करने के लिये वर्तमान प्रणाली प्रभावी नहीं है। विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी पूर्ण नहीं है और जानकारी चुनिन्दा आधार पर प्रयोग की जा रही थी और कई निर्धारित विभाग से कोई भी कार्यवाही किये बिना सजा मुक्त हो जाते हैं। तदर्थ अस्वीकृति करने की वर्तमान प्रणाली ऐसी अवास्तविक बिक्री और खरीद⁹⁶ के माध्यम से सिर्फ काले धन को उत्पन्न करेगी।

96 26 सितम्बर 2014 को भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत, डॉ पार्थसारथी शोमे की अध्यक्षता में कर प्रशासन सुधार सुधार समिति की दूसरी रिपोर्ट।